राजस्व अपील संख्या : 11/2022

उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

नये नम्बर	गत नम्बर
राजस्व अपील संख्या : 11/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/60	राजस्व अपील संख्या : 14/2021 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/35

प्रार्थी :–

1. हीराराम पुत्र वरदाराम जाति माली निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. पनाराम पुत्र गेनाजी जाति माली निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली राज.
2. तहसीलदार महोदय, बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.01.1984, जिसे सहायक भू–अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 1423/1983 किस्म मुकदमा इन्द्राज दुरुस्ती के विरुद्ध।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

–:निर्णय:–

दिनांकः 15.09.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरुद्ध आदेश दिनांक 27.01.1984 जिसे सहायक भू–अभिलेख अधिकारी एवं सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 1423/1983 किस्म मुकदमा इन्द्राज दुरुस्ती सायल हीराराम पनाराम बनाम गैर सायल में पारित किया गया, के विरुद्ध पेश की गई। अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मूल रिकॉर्ड के अनुसार अपील मीमों में वर्णित तथ्यों के अनुसार मातहत अदालत में एक आवेदन अपीलाण्ट के पिता एवं रेस्पोडेण्ट दोनों की ओर से संयुक्त इन्द्राज दुरुस्ती बाबत सहायक भू–प्रबंधक अधिकारी महोदय, जोधपुर केम्प बाली में दिनांक 11.08.1983 को पेश होना बताया, जिस पर रेस्पोडेण्ट का अंगुष्ठ निशान अंकित है, अपीलाण्ट के पिता के कोई हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई आवेदन अपीलाण्ट के पिता द्वारा कभी भी पेश नहीं किया गया। उपरोक्त आवेदन अधिवक्ता श्री रघुनाथजी परिहार द्वारा पेश होना बताया गया। उपरोक्त आवेदन को दिनांक 30.08.1983 को दर्ज होना बताया, तत्पश्चात् पेशी दिनांक 27.12.1983 को नियत की गई, जिस पर जमाबंदी पेश करने के निर्देश दिये गये, आगामी पेशी दिनांक 28.12.1983 को नियत की गई। पेशी दिनांक 28.12.1983 को जमाबंदी की नकल पेश नहीं होना बताया गया और पत्रावली में मौका जांच किये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात सीधा ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 11/2022

उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त पत्रावली में अपीलाण्ट के पिता के बयान लेने बताये गये, लेकिन उपरोक्त बयान किसने और कब लिये? इस बाबत बयानों पर न तो दिनांक अंकित है, न ही बयान लेने वाले के हस्ताक्षर है। उपरोक्त बयान अपीलाण्ट के पिता द्वारा नहीं दिये गये थे। अपीलाण्ट के पिता अधिवक्ता श्री रघुनाथजी परिहार के अतिविश्वस्त व्यक्ति थे, इस कारण से विश्वास से बयान फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा दिये होंगे तो उसकी कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं है। उपरोक्त बयानों पर किये गये हस्ताक्षरों को अपीलाण्ट स्वीकार नहीं करता है, हस्ताक्षर फर्जी भी हो सकते है, साथ ही रेस्पोडेण्ट के भी बयान लेने बताये गये, बयानों पर निशान अंगुष्ठ पनाराम का बताया गया है, लेकिन ऐसा कोई अंगुष्ठा निशान बयान फॉर्म पर रेस्पोडेण्ट का नहीं है, न ही बयान लेने वालो के हस्ताक्षर है अर्थात् हस्ताक्षर खाली छोड़े हुए है। बिना अपीलाण्ट के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना अपीलाण्ट के पिता की ओर से आवेदन पेश किये, बिना अपीलाण्ट के पिता की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किये फर्जी कार्यवाही करके जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो अवैध एवं शून्यवृत है, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट के पिता ने अपनी ओर से कार्यवाही करने के लिए कभी भी श्री रघुनाथजी परिहार को अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया था, न ही वकालतनामा पर अपने हस्ताक्षर किये थे, साथ ही न ही रेस्पोडेण्ट के साथ मिलकर आवेदन पेश किया था, क्योंकि उपरोक्त आवेदन पर भी अपीलाण्ट के पिता के हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त सारी कार्यवाही अपीलाण्ट के पिता के बाले बाले एकपक्षीय की गई है, जो अपास्त योग्य है।

यह कि, उपरोक्त प्रकरण में ग्राम बाली के खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.20 हैक्टेयर में अपीलाण्ट के पिता का नाम था, को खारिज कर उपरोक्त खसरा नम्बर रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज करने और रेस्पोडेण्ट के खातेदारी के खसरा नम्बर 1546 में से रकबा 0.16 हैक्टेयर को खारिज कर अपीलाण्ट के पिता के नाम दर्ज करने के आदेश अवैध रुप से पारित करते हुए तरमीम पर्चा जारी करने का आदेश पारित कर दिया, जो पूर्णरुप से अवैध है। जानबूझकर अपीलाण्ट के पिता की 0.04 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी कम कर दी, ऐसा आदेश अवैध, अनुचित और मनमाना होने से अपास्त योग्य है। अपीलाधानी आदेश के आधार पर दिनांक 15.06.2020 को राजस्व नक्शे में दुरुस्ती के आदेश पारित करवा दिये, जिसकी जानकारी होने पर अपीलाण्ट की ओर से उपरोक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमान के न्यायालय में अपील संख्या 13/2020 पेश की थी, जिसमें अपीलाण्ट के पक्ष में अंतरिम अनुतोष भी प्रदान किया गया। उपरोक्त अपील के दौरान जैर अपील आदेश की जानकारी अधिवक्ता द्वारा दिये जाने पर बमुश्किल से दिनांक 07.07.2021 को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम होने पर संपूर्ण मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 7.7.2021 को पेश किया, जहां से नकले दिनांक 7.7.2021 को प्राप्त होने पर विधिक सलाह ली जाकर अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अपीलाधीन आदेश के आधार पर दिनांक 15.06.2020 को राजस्व नक्शे में दुरस्ती के आदेश पारित करवा दिये, जिसकी जानकारी होने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2022

उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

पर अपीलाण्ट की ओर से उपरोक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमान के न्यायालय में अपील संख्या 13/2020 पेश की थी, जिसमे अपीलाण्ट के पक्ष में अन्तरिम अनुतोष भी प्रदान किया गया। उपरोक्त अपील के दौरान जैर अपील आदेश की जानकारी अधिवक्ता द्वारा दिये जाने पर बमुश्किल से दिनांक 07.07.2021 को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने पर संपूर्ण मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 07.07.2021 को पेश किया, जहां से नकले दिनांक 07.07.2021 को प्राप्त होने पर विधिक सलाह लेकर उपरोक्त अपील पेश की जा रही है। इससे पूर्व अपीलाधीन आदेश की अपीलाण्ट के पिता के पीठ के पीछे की गई है, इस कारण से पूर्व में जानकारी होना संभव नहीं था। इसलिए अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किया जाना न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने इस प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तारीख 07.09.2020 को हुई है। अपीलाधीन आदेश पारित होने की दिनांक एवं उस तारीख से सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.09.2020 के मध्य अपीलाण्ट को किन परिस्थितियों के कारण जानकारी नही रही व अचानक जानकारी होने का भी खुलासा विवरण अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट ने नहीं दिया है। चूंकि इस भूमि को लेकर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य वाद भी विचाराधीन रहे है जिस कारण अपीलाण्ट को हर उस आदेश की जानकारी रही है जो वादग्रस्त भूमि बाबत् जारी किये गये है। अपील को म्याद शुमार करने व अपील को देरी से पेश करने के डिले को कण्डोन करने हेतु प्रत्येक दिन के डिले का स्पष्ट कारण भी अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट ने नहीं किया है, जिस कारण भी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए अपील को म्याद बाहर मानते हुए अस्वीकार फरमावें।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 1423/83 निर्णय दिनांक 27.01.1984 पूर्व में ही प्राप्त होकर पत्रावली के सलंग्न है। रेस्पोडेण्ट संख्या दो बावजुद सूचना के अनुपस्थित। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि:–

> उक्त अपील श्रीमान सहायक भू प्रबन्ध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा पत्रावली संख्या 1423/1983 में अपीलाण्ट के पिता वरदाराम व पन्नाराम की ओर से संयुक्त आवेदन के आधार पर दिनांक 27.01.1984 को निर्णय पारित करना बताया गया। सर्वप्रथम अधीन न्यायालय की मिसल का अवलोकन फरमावें जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पिता वरदाराम के प्रस्तुत आवेदन पर तथा वकालतनामा पर न तो हस्ताक्षर है, न ही अंगुष्ट निशान है, जो बयान बताये गये है, उस भी हस्ताक्षर फर्जी व कूटरचित है तथा उक्त बयान किसने लिये, उसके हस्ताक्षर नहीं है इसलिए इसे बयान नहीं माना जा सकता है। बयान पर सहायक भू प्रबन्ध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं है। अपीलाण्ट के पिता द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत न तो आवेदन पेश किया था, न ही अधिवक्ता नियुक्त किया एव न ही बयान व सहमति दी है। उपरोक्त तथ्यों को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2022

उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

पुष्टि अधीन न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया होती है। इसलिए ऐसे आदेश को बहाल नहीं रखा जा सकता है।

2. यह कि इसके अलावा भी भू प्रबन्ध अधिकारी को आपसी सहमति से अथवा सहमति के बिना कम करने, बढाने, विभाजन करने की कोई अधिकारिता नही है, ऐसी स्थिति में भी उक्त जैर अपील आदेश विधिक रुप से अधिकारिता से परे होने से शून्य है, जिसे कभी भी चुनौति दी जा सकती है। शून्य व क्षेत्राधिकार से परे पारित आदेश में मयाद कानून आडे नहीं आता है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश को बहाल नहीं रखा जा सकता है।

3. यह कि, रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में जो आधार बताये गये है, वे सभी झूठे है। रेस्पोडेण्ट का यह कथन कि अपीलाण्ट के पिता वरदाराम को आपत्ति होती तो उनके द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 92/2006 में विवरण होता। उक्त वाद अलग तथ्यो के आधार पर अलग अनुतोष हेतु पेश किया था, उस वाद से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा उक्त अपील में वर्णित अनुतोष से कोई सम्बन्ध नही है।

4. यह कि रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित बहस में यह तथ्य वर्णित किये है कि अपीलाण्ट के पिता वरदाराम व रेस्पोडेण्ट के मध्य दिनांक 06.05.1987, 03.04.1993 एवं 23.06.2000 को आपसी बंटवाडे लिखे जाने बताये है, जो गलत है, ऐसे कोई बंटवाडे नहीं लिखे गये है उक्त तथाकथित बंटवाडो में जैर अपील आदेश में वर्णित भूमि बाबत कोई जिक्र नही है, न ही कोई स्वीकारोक्ति है।

5. यह कि, अपील संख्या 11/2022 में वर्णित जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलाण्ट को नोटिस दिया, न ही सुना गया, न ही सुनवाई का अवसर दिया तथा बिना पक्षकार बनाये सामान्य आवेदन पर एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर जैर अपील आदेश दिनांक 15.06.2020 को पारित किया है, जो आदेश अवैध व शून्यवृत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

6. यह कि सेटलमेंट विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारियों को भू प्रबन्ध के दौरान किसी खातेदार की खातेदारी भूमि का रकबा बढाने, घटाने, विभाजन करने, विनिमय करने का अधिकार पक्षकारो की सहमति से भी नही है क्योंकि इस बाबत उन्हें कोई अधिकारिता ही नही है।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न लिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए:–

1. 1992 RRD 117
2. 1998 RRC 140
3. 1996 RRD 457
4. 2001(1) RRT 244
5. 2013(1) RRT 391

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2022

उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

6. 1992 RRD 137
7. 1998 RRD 319 (HC)
8. 2018-19 RRT 145
9. 2024(1) RRT 82
10. 2022(1) RRT 493
11. 2024 (1) RRT 386
12. 2024 (1) RRT 437
13. 2024 (1) RRT 463

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि तहसील बाली के सम्पूर्ण गांव का सर्वे (भू प्रबंध) का कार्य सन् 1976 में शुरु हुआ जो सर्वे मौके पर कब्जे, आपसी रजामंदी से बंटवाडा एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती आदि के आधार पर खातेदारों के नाम बीघा प्रणाली को हैक्टर प्रणाली में खातेदारी का इन्द्राज करते हुए सर्वप्रथम पर्चा लगान जारी करते थे इसी के आधार पर सरहद मौजा बाली में स्थित कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 1545 से 1557 कुल रकबा 2.81 हैक्टर अपीलाण्ट के पिता वरदाराम पुत्र गेनाजी व रेस्पोडेण्ट संख्या एक पनाराम पुत्र गेनाजी, जातिगण माली के कब्जे–काश्त व पुश्तैनी खातेदारी की भूमि होने से इस भूमि में कब्जे काश्त अनुसार खातेदारी दर्ज करते हुए अलग अलग कब्जे अनुसार पर्चा लगान अलग अलग जारी करने हेतु वरदाराम व पनाराम ने संयुक्त रुप से एक प्रार्थना पत्र श्रीमान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय बाली के समक्ष पेश किया जिस पर सहायक भू प्रबन्ध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर ने पत्रावली संख्या 226/77 कायम की एवं तारीख 24.10.77 को अलग अलग पर्चा लगान जारी करने का निर्णय पारित किया, दोनो भाई होने से एवं दोनो भाईयों का अलग अलग कब्जा काश्त वक्त सर्वे रहा था, जिसके तीन पर्चा लगान संख्या 175, 176, 169 जारी किये हुए थे। पर्चा लगान संख्या 175 वरदाराम के नाम का एवं खसरा नम्बर 1548, 1549, 1556, 1577 का, पर्चा लगान संख्या 176 शामलाती भूमि का एवं खसरा नम्बर 1545, 1546, 1547, 1554, 1555 का पर्चा लगान संख्या 169 पनाराम के नाम का जारी किया गया था।

2. यह कि मौके पर दोनो भाई वरदाराम व पनाराम का सन् 1977 से अलग अलग कब्जा व काश्त था एवं सर्वे सेटलमेंट के दौरान कोई गलत इन्द्राज हो जाने पर उसमें सुधार करने हेतु ग्रामीणों की सुविधा हेतु भू प्रबंध विभाग जोधपुर की तरफ से अलग अलग गांवों में कैम्प आयोजित किये जाकर आपत्तियां ली जाती थी, इसी परिप्रेक्ष्य में वरदाराम व पनाराम की तरफ से संयुक्त रुप से अपने अधिवक्ता रुघनाथजी परिहार को नियुक्त कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर कैम्प बाली में एक प्रार्थना पत्र सन् 1983 में पेश कर पूर्व में जारी पर्चा लगान संख्या 176 व 165 में खसरा नम्बर 1546 व 1557 में सुधार कर दोनों

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2022

उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

भाईयों के कब्जे अनुसार पर्चा लगान में संशोधन का प्रार्थना पत्र दर्ज कर पत्रावली संख्या 1423/83 दिनांक 30.08.83 को कायम की गई एवं तारीख 27.12.83 को कैम्प साण्डेराव में सुनवाई हेतु रखी गई।

3. यह कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर कैम्प बाली ने विभागीय जांच करवाते हुए सर्वे अमीन से मौका रिपोर्ट तलब की, पक्षकारों के बयान लिए एवं बाद सुनवाई तारीख 27.01.1984 को आदेश पारित किया गया कि खसरा नम्बर 1557 में से रकबा 0.20 हैक्टर पर वरदाराम का नाम खारिज कर खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.20 पर पन्नाराम वल्द गेना माली सा.देह खातेदार दर्ज करें बाकी इन्द्राज बदस्तुर रहें तथा खसरा नम्बर 1546 में से रकबा 0.1600 हैक्टेयर पर से पन्नाराम वल्द गेना का नाम खारिज कर खसरा नम्बर 1546 रकबा 0.16 हैक्टेयर पर वरदाराम वल्द गेना कौम माली सा. देह खातेदार दर्ज हो बाकी इन्द्राज बदस्तुर रहें। समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद होकर तरमीम पर्चा जारी हो। जिसके आधार पर वरदाराम व पन्नाराम, दोनो भाईयों के नाम संशोधित पर्चा लगान जारी हुए जो दोनो भाईयों ने स्वीकार किया हैं।

4. यह कि वर्ष 1983 के पूर्व में वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी रही है जिस पर वरदाराम व पनाराम दोनों भाई अलग अलग काबिज होकर, अपने अपने बंट, खातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग करते हुए काश्त करते आ रहे है। तारीख 27.01.1984 को ए.एस.ओ. का आदेश होने के बाद से अपनी अपनी खातेदारी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं जिस बाबत् दोनो भाईयों के जीवनकाल में कभी कोई आपत्ति नहीं की गई।

5. यह कि स्वर्गीय वरदाराम व पनाराम दोनो भाईयो के मध्य उनकी खातेदारी भूमि बाबत् आपसी बंटवाडा के लिखत भी दोनो भाईयों के मध्य तारीख 06.05.87 को दिनांक 03.04.1993 दिनांक 23.06.2000 को लिखे गये है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि बाबत् दोनो भाईयों के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवाडा व कृषि भूमि का लिखत बंटवाडा भी हुआ है

6. यह कि सन् 2006 में वरदाराम ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. का पनाराम के विरुद्ध माननीय उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में मौजा बाली के हाल खसरा नम्बर 703, 1551, 1552, 1553, 1079/3597 रकबा 3.63 हैक्टर का पेश किया था, तो तारीख 14.08.2006 को बअनवान वरदाराम बनाम पनाराम के नाम से दर्ज हुआ, जिसके राजस्व वाद संख्या 92/2006 रहे है, जो वाद करीब पांच वर्ष चला एवं तारीख 12.09.2011 को नोट प्रेस कर खारिज करवाया गया। इससे यह साबित है कि अगर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 17.01.1984 बाबत आपत्ति होती तो सक्षम राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में पेश वाद संख्या 92/2006 में उस निर्णय की पालना में तैयार किये गये राजस्व इन्द्राज को भी चुनौति दी जाती, क्योंकि खसरा नम्बर 1545 से 1557 के खतौनी बन्दोबस्त एवं जमाबंदी के इन्द्राज की जानकारी सन् 2006 में किये गये बंटवाडा के समय स्व. वरदाराम जी के ज्ञान व जानकारी में रही है। इस प्रकार स्व. वरदाराम सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 17.01.1984 बाबत अपनी सहमति प्रकट होना जाहिर किया है तथा सी.पी.सी. के आदेश 2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2022

उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

नियम 2 (2) के तहत भी कानूनन यह माना जायेगा कि आदेश दिनांक 17.01.84 में वर्णित भूमि बाबत अपने दावे का त्याग कर लिया था। जिस बाबत् वरदाराम जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसों को भी ऐतराज करने का हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

7. यह कि अपीलाण्ट स्वयं ने माननीय न्यायालय में अपील तारीख 02.08.2021 पेश करने के पूर्व एक वाद माननीय उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का तारीख 19.06.2020 को पेश किया था जिसमें खसरा नम्बर 1545, 1546, 1547, 1554,1555, 1557/3722 कुल रकबा 1.35 हैक्टर इन्द्राज को स्वीकार करते हुए इनको चुनौति नहीं दी एवं नही सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 27.01.1984 को चुनौति दी है, इस प्रकार अपीलाण्ट की जानकारी में तारीख 19.06.2020 को आदेश दिनांक 27.01.1984 की जानकारी होते हुए भी उसको चुनौति नही देने से भी अपीलाण्ट को इस अपील के जरिये अप्रार्थी के खातेदारी इन्द्राज को चुनौति देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, साथ ही इसी आधार पर प्रार्थी की उपरोक्त अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है।

8. यह कि अपीलाण्ट का पिता बड़ा भाई था व रेस्पोडेण्ट उनसे छोटा था एवं राजस्व संबंधी तमाम रिकॉर्ड की कार्यवाही, इन्द्राज आदि का काम बडे भाई होने के नाते अपीलाण्ट का पिता करता था ओर इसी परिप्रेक्ष्य में खातेदारी इन्द्राज करवाते हुये पर्चा लगान हाल दूसरे सेटलमेंट के दौरान अपीलाण्ट के पिता ने सन् 1977 में दर्ज करवाये है एवं अपीलाण्ट के पिता ने अपनी जीवनकाल में उन इन्द्राज को, उन्होंने कभी चुनौति नही दी है, साथ ही सन् 1984 में प्रार्थी के पिता ने पूर्व में जारी पर्चा लगान में सशोधन करवाया था जिस कारण इस अपील के जरिये अपीलाण्ट किसी भी इन्द्राज को चुनौति देने का कानूनन अधिकारी नहीं होने से ही अपीलाण्ट की अपील खारिज योग्य है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टान्त पेश किए गएः–

1. 2010 (2) RRT 815
2. 2017(4) DNJ (Raj.) 1709
3. 2011 DNJ (SC) 172
4. 2024 (2) DNJ (Raj.) 766
5. AIR 1973 (P&H)126
6. AIR 1979 (P&H) 12
7. RRT 2018(2) 1057
8. AIR 2014 (SC) 2301
9. RRT 2019 (2) 1138

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2022
उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

10. RRD 1989 500

वक्त बहस काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने मौखिक आपत्ति इस आशय की भी प्रस्तुत की कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है अपितु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(c) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी (settlement officer) में उक्त क्षेत्राधिकार निहित है। अतः हस्तगत अपील बखिलाफ आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दिनांक 27.01.1984 क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त की जाए। अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित उपरोक्त तर्क के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया:–

1. RRT 2016 (1) 151

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की क्षेत्राधिकार सम्बन्धि मौखिक आपत्ति का खण्डन करते हुए रिबूटल में काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (d) सपठित धारा 24 (9) के प्रावधानान्तर्गत जिला कलेक्टर बतौर भू अभिलेख अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के निर्णय या आदेश की अपील सुनने हेतु अधिकृत है। हस्तगत प्रकरण में आलोच्य आदेश दिनांक 27.01.1984 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा सहायक भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से भी पारित किया गया था, अतः अपील इस न्यायालय में संधारणीय है। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्कों की पुष्टि में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. RRT 2009 (1) 189
2. माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान 'Ramchandra vs. BoR. & Ors. में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2017

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा तर्कों पर मनन किया गया एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा क्षेत्राधिकार सम्बन्धि मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद सर्वप्रथम इस प्रश्न का निर्धारण आवश्यक है कि **"न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा निर्णीत प्रकरण के विरुद्ध अपील सुनने हेतु सक्षम न्यायालय है अथवा नहीं?"**

इस प्रश्न के निर्धारण हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 का उद्धरण आवश्यक है:–

(a) to the Collector from an original order passed by a Tehsildar in matters not connected with settlement or land records.

(b) to the revenue appellate authority from an original order passed by an Assistant Collector or a Sub-Divisional Officer or a Collector in matters not connected with settlement.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

(c) to the Settlement Officer from an original order passed by a Revenue Court or Officer subordinate to him.

(d) to the Land Record Officer from an original order passed by Revenue Court or officer subordinate to him.

(e) to the Settlement Commissioner from an original order passed by a Settlement Officer or by a Collector in matters connected with Settlement,

(f) to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Records Officer in matters connected with land records, and

(g) to the Board from an original order passed by the Commissioner or the Additional Commissioner or the Revenue Appellate Authority the Settlement Commissioner.

स्पष्ट है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उपरोक्त धारा 75 की उपधारा (1) (c) के प्रावधानान्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी, न कि भू अभिलेख अधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर के समक्ष। यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 181 में यह उपबन्धित है कि उक्त अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानान्तर्गत सेटलमेंट कार्यवाही समाप्त होने की अधिसूचना जारी होने के बाद भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष "लम्बित" आवेदन तथा कार्यवाहियाँ जिला कलेक्टर को स्थानान्तरित होगी, जो भू प्रबन्ध अधिकारी के रुप में उन लम्बित आवेदनों तथा कार्यवाहियों का निस्तारण करेगा अर्थात सेटलमेण्ट ऑपरेशन समाप्त होने के बाद 'लम्बित' कार्यवाहियों/प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर सेटलमेंण्ट ऑफीसर के दायित्व निर्वहन हेतु अधिकृत है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जरिए आलोच्य निर्णय मिसल संख्या 1423/83 को अन्तिम रुप से निर्णीत करार दिया गया था। ऐसे निर्णीत प्रकरण के विरुद्ध अपील सुनने हेतु जिला कलक्टर पूर्वोक्त धारा 181 के प्रावधानान्तर्गत अधिकृत नही है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली (पाली)

उक्त बहस काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि ज़ेर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 27.01.1984 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बतौर सहायक भू अभिलेख अधिकारी भी पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अधिनियम 1956 की धारा 75 (1) (d) सपठित धारा 24 (9) के प्रावधानान्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर को प्राप्त है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तर्क भी वैधानिक दृष्टि से संधारणीय नहीं है, क्यों कि आलोच्य आदेश सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश है, जिसे रिकॉर्ड ऑपरेशन हेतु सहायक भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियाँ अवश्य प्रत्यायोजित होती है किन्तु मूल दायित्व भू प्रबन्ध कार्यवाही ही है। संक्षेप में, राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) की उपधारा (a) से (f) तक में ऐसा कहीं कोई प्रावधान उपबन्धित नहीं है जो भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा निर्णीत प्रकरण के विरुद्ध अपील सुनने हेतु भू अभिलेख अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर को अधिकृत करता हो।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर प्रस्तुत दोनों न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में चस्पा नही होते है, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है। न्यायिक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2022
उनवान : हीराराम बनाम पनाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

2009 RRT 189 भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के समय सेटलमेंण्ट अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील जिला कलेक्टर को स्थानान्तरित होने तथा जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय की द्वितीय अपील से सम्बन्धित है, जबकि हस्तगत प्रकरण सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण की प्रथम अपील से सम्बन्धित है। इसी प्रकार अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण बउनवान Ram Chandra Vs. Bor.& Ors. में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त कहीं प्रस्थापित नहीं किया है कि जिला कलेक्टर बतौर भू अभिलेख अधिकारी भू प्रबन्धन कार्यवाही के दौरान निर्णीत प्रकरण की सुनवाई हेतु अधिकृत है।

इसके विपरित काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2016 (1) RRT 151 हस्तगत प्रकरण में चस्पा पाया जाता है।

इस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण बउनवान Sher Singh Vs. Manager, Gaushala Sambhar RRD 1977 NUC 31 में स्पष्ट रुप से प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा किः–

" Only objections pending undecided by A assistant Settlement Officer are to be transferred to Collector on close of settlement operations. The appeal or revision against orders passed by ASO need not to be channelled through Collector under s. 181, But will go on as usual."

इस प्रकार सम्पूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा ज़ैर अपील आलोच्य मिसल संख्या 1423/83 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 27.01.1984 के विरुद्ध प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अतः हस्तगत अपील क्षेत्राधिकार बाधित होने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी या निर्णय किए बिना ही मूल अपील मीमों सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को पुनः लौटाने के निर्देश दिए जाते है।

उक्त निर्णय आलोच्य आदेश दिनांक 27.01.1984 की वैधता की पुष्टि के रुप में नहीं समझा जाएगा।

निणर्य आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। मिसल संख्या 1423/83 का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner